रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 14, 2015/आश्विन 22, 1937
No. 273] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2015/ASVINA 22, 1937

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)**

**संकल्प**

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2015

**संख्या एस-16014/55/2012-एल डब्ल्यू (.).**—ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड, पाटा, जिला औरेया (उतर प्रदेश) के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम के उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने के लिए समिति का गठन करता है।

2. इस समिति का संघटन तथा विचारार्थ विषय निम्नवत होंगे:-

(1) श्री राज बिहारी शर्मा, सदस्य
भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस),
42, पटेल कॉलोनी, सरदार पटेल मार्ग,
'सी' स्कीम, जयपुर – 302001

(2) श्री ए.के. भंडारी, सदस्य
सलाहकार (पर्यावरण), भारतीय खान उद्योग संघ,
एफ.आई.एम.आई. भवन,
बी-311, ओखला औद्योगिक क्षेत्र,
फेज-I, नई दिल्ली – 110020

(3) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) लखनऊ सदस्य - संयोजक

3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे:-

**"मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड, पाटा, जिला औरेया (उतर प्रदेश) की स्थापना में विभिन्न नौकरियों/कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली की कार्यपद्धति का अध्ययन करना तथा ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रतिष्ठानों में उपरोक्त नौकरियों/कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषेध करने या नहीं करने की उपयुक्त सिफारिशें करना"।**

4. समिति का मुख्यालय लखनऊ में होगा। समिति पक्षों की नए सिरे से सुनवाई करेगी, निवेदन यदि कोई हो प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें, तथा अपनी रिपोर्ट दो माह के भीतर प्रस्तुत करें।

ए. के. सिंह, सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**

(CENTRAL ADVISORY CONTRACT LABOUR BOARD)

**RESOLUTION**

New Delhi, the 14th October, 2015

**No.S-16014/55/2012-LW(.).—**In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of abolition of contract labour in the establishment of M/s. GAIL (India) Limited, Pata, District Auraiya(UP).

2. The composition of the Committee will be as under:-

(i) Shri Raj Bihari Sharma, -Member
Bhartiya Mazdoor Sangh, (BMS), 42, Patel Colony,
Sardar Patel Marg, "C" Scheme, Jaipur – 302001

(ii) Shri A.K. Bhandari, -Member
Advisor (Environment),Federation of Indian
Mineral Industries (FIMI), FIMI House, B-311,
Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020.

(iii) RLC (Central), Lucknow -Member Convenor

3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows:-

**"To study the working of contract labour system in various jobs/works in the establishment of M/s. GAIL (India) Limited, Pata, District Auraiya (UP) and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs/works in the said establishment be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970".**

4. The Headquarter of the Committee will be at Lucknow. The Committee shall hear the parties afresh, allow submission and submit its report within tow months

A. K. SINGH, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.